1/2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 550-पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 09-02-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 67/2014-15अपील.

नरेन्द्र पंडित पुत्र श्री चिम्मनलाल पंडित
निवासी- टोपेवाला मोहल्ला, जीवाजीगंज,
लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

1-विष्णुदत्त शर्मा (पाण्डे) पुत्र स्व. श्री शिवचरणलाल पाण्डे,
2-सुरेन्द्र कुमार पाण्डे पुत्र स्व. श्री शिवचरणलाल पाण्डे
निवासीगण- जागृति नगर, लक्ष्मीगंज,
लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.
3-कलेक्टर जिला ग्वालियर
4-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 09-02-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एवं पत्र के संलग्न माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का रिट पिटीशन 516/2012(पीआईएल) आदि की छायाप्रति प्रस्तुत कर ग्राम कोटा लश्कर के सर्वे नम्बर 77/1 पर तत्कालीन ग्वालियर राज्य में समाहित भूमि जिस पर लगभग 200 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर राजस्व अभिलेख में सम्वत 1992 वर्ष 1935 में भूमि माफी अतिये सरकार के रूप में अंकित है, सम्बत 2008 में कब्जाधारी के रूप में हीरालाल का नाम अंकित कर दिया गया, लेकिन भूमि मालिक के रूप में माफी औकाफ रैयतवारी अंकित है । उक्त दस्तावेजों में हेराफेरी कर विष्णुदत्त सुरेन्द्र द्वारा कब्जा कर निर्माण / विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अतिक्रमण की जॉच कर अतिक्रमण हटाया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की जाकर दिनांक 1-10-2014 को आदेश पारित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया गया । आवेदक द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9-2-2015 को आदेश पारित कर अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 516/2012/WP में पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 के अनुसार कलेक्टर ग्वालियर को विवादित भूमि पर सभी पक्षों को सुनकर तथा परीक्षण कर अनावेदक का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाने तथा राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज करने का निर्देश दिये थे ।
2) अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ग्वालियर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार ग्वालियर से जांच करायी, लेकिन तहसीलदार ग्वालियर ने संबंधित सभी पक्षों को अर्थात् आवेदक नरेन्द्र पंडित को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर सारी कार्यवाही एक पक्षीय रूप से कर तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर ग्वालियर को सौंप दिया।

3) आवेदक को जानकारी होने पर आवेदक ने स्वयं कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की तथा अनावदेक विष्णुदत्त पाण्डे, पटवारी आदि पर कूटपरीक्षण के लिऐ निवेदन किया, लेकिन कलेक्टर ग्वालियर द्वारा कूटपरीक्षण का अवसर नहीं दिया और ना ही आवेदक द्वारा आपत्तियों में उठाये गये बिन्दु पर विचार किया, जबकि कलेक्टर ग्वालियर को विवादित भूमि की जांच करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए था।

A- विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 77/1 जिसका पुराना सर्वे नम्बर 59/1 की नोईयत क्या थी।

B- विवादित भूमि सम्मत 1992 (सन् 1935)के खसरा मे खाना नम्बर 5 (नाम मालिक) भूमि अतिये सरकार अंकित है तो वह भूमि स्वाम पर कब व किस आदेश से दर्ज की गई।

C- अनावेदक विष्णुदत्त ने विवादित भूमि हीरालाल को बागात के लिये देना बताई है लेकिन हीरालाल को बागात के लिए विवादित भूमि किसके द्वारा दी गई।

D- हीरालाल कौन था तथा हीरालाल के वारिसान कौन थे।

E- विवादित भूमि को आवेदक विष्णुदत्त ने अपने पिता शिवचरण पाण्डे को हीरालाल के पुत्र द्वारा मौखिक पट्टे पर देना बताया है लेकिन किस पुत्र द्वारा मौखिक पट्टे पर दी गई उस हीरालाल के पुत्र का नाम व पता क्या था नहीं बताया था।

F- प्रकरण क्रमांक 8/1991-92/अ-46 आदेश दिनांक 02.04.1992 क्या अंतरिम आदेश हो गया था।

4) कलेक्टर ग्वालियर द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई जांच नहीं की गई तथा तहसीलदार ग्वालियर द्वारा मात्र आदेश दिनांक 02.04.1992 की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जबकि कलेक्टर ग्वालियर को सम्मत् 1992 से लेकर जांच दिनांक तक की स्थिति की जांच करना चाहिए थी।

5) अभिलेख से स्पष्ट है कि हीरालाल भूमि स्वामी नहीं था तथा अनावेदक विष्णुदत्त ने हीरालाल के वारिसानों के संबंध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था। अनावेदक विष्णुदत्त ने अपना धारा 190/110 भू-राजस्व संहिता का जो आवेदन तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो कि प्रकरण क्रमांक 8/1991-92/अ-46 पर दर्ज है उक्त आवेदन गिरधरलाल पुरूषोत्तमदास तथा गोपालदास पुत्रगण द्वारका दास निवासी

जनकगंज लश्कर के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, इनमें से कोई भी हीरालाल का वारिस नहीं है अर्थात् न तो गिरधरलाल आदि और ना ही उनके पिता द्वारका दास हीरालाल के वारिस हैं। साजिसन प्रत्यर्थीगण ने गिरधरलाल आदि को पक्षकार बनाकर विचारण न्यायालय से साठगांठ कर आदेश पारित कराया था।

6) प्रकरण क्रमांक 8/1991-92/अ-46 आदेश दिनांक 02.04.1992 जो कि अनावेदक ने विवादित भूमि के स्वामित्व का मुख्य आधार बताया है । लेकिन उक्त "आदेश 02.04.1992 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका प्रकरण क्रमांक 81/1991-92/अपील है अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.02.1994 के द्वारा तहसीलदार का उक्त आदेश दिनांक 02.04.1992 निरस्त कर प्रकरण पुन: जांच हेतु तहसीलदार ग्वालियर को प्रत्यावर्तित किया" अनावेदक ने एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर के यहां की जिसका प्रकरण क्रमांक 329/1993-94 था, जो आदेश दिनांक 20.07.1999 को अदम पैरवी में निरस्त की गई ।

7) तहसीलदार ग्वालियर द्वारा रिमाण्ड आदेश के पालन में पुन: कार्यवाही की गई, लेकिन उक्त प्रकरण के अनावेदक विष्णुदत्त व सुरेन्द्र कुमार पाण्डे जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए इसलिये प्रकरण दिनांक 24.11.1999 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया।

8) अनावेदक विष्णुदत्त आदि का प्रकरण क्रमांक 8/1991-92/अ-46 आदेश दिनांक 02.04.1992 के पालन में अनावेदक विष्णुदत्त आदि का राजस्व अभिलेख में अमल हो चुका था। अमल निरस्त कराने के लिए दिनांक 22.06.2003 को न्यायालय तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 624/2002-03/बी-121 था जिसमें अनावेदक विष्णुदत्त आदि को भी आहुत किया गया।

9) अनावेदक विष्णुदत्त की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण क्रमांक 624/2002-03/बी-121 में उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मूल प्रकरण में मुझे कोई सूचना नहीं दी है इस कारण उक्त प्रकरण (624/2002-03/बी-121) प्रचलित कर सुनवाई की जावे।

10) विचारण न्यायलय तहसीलदार ने अनावेदक विष्णुदत्त का आवेदन अपने आदेश दिनांक 25.08.2004 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रकरण दिनांक 24.08.1999 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है जिसे निरस्त कराने के लिये 4 वर्ष निकल जाने तक

कोई कार्यवाही अनावेदक विष्णुदत्त आदि ने नहीं की है। इसलिये अनावेदक विष्णुदत्त का आवेदन निरस्त कर दिया तथा प्रकरण में दिनांक 02.04.1992 के पूर्व की स्थिति लाये जाने का आदेश पारित किया।

11) इससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा वास्तविक स्थिति को छुपाया गया है तथा ऐनकेन प्रकारेण तहसीलदार ग्वालियर के आदेश दिनांक 25.08.2004 का अमल राजस्व अभिलेख में नहीं होने दिया जिसका लाभ उठाकर वह आज भी अवैध इन्द्राज के आधार पर कार्यवाही कर रहा है अर्थात् अनावेदक मंदिर की भूमि को बेईमानी की नियत से हड़पना चाहते हैं।

12) अनावेदक विष्णुदत्त आदि ने संहिता की धारा 185 190/110 के तहत जो आवेदन प्रस्तुत किया है वह संहिता की धारा 185 190/110 की परिधि में नहीं आता है। अनावेदक विष्णुदत्त आदि ने तहसीलदार को प्रस्तुत संहिता की धारा 185 190/110 के पद क्रमांक 2 में द्वारका दास ने मौखिक अनुबंध अनुसार सम्मत् 2017 में कृषि भूमि को पट्टे पर प्रदान की थी, लेकिन इसमें न तो पट्टे का समय वर्णित है और ना ही पट्टे देने के बदले में प्रतिफल या मूल्य नियत किया गया है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को पट्टे पर दिया जाना नहीं मानी जा सकती। प्रत्यर्थी के उक्त आवेदन धारा 185 190/110 में तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में हीरालाल का जिक्र तक नहीं आया है।

13) अनावेदक ने अपने आवेदन के पद क्रमांक 1 में 30 वर्षों से अधिक समय से आधिपत्यधारी कृषक है अर्थात अनावेदक क्रमांक 1 व 2 विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त करना चाहते हैं जबकि विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है।

14) अनावेदक ने विवादित भूमि अपने पिता शिवचरण पाण्डे को मौखिक पट्टे पर खेती के लिए देना बताई है जबकि शिवचरण पाण्डे शासकीय नौकरी में होकर शिक्षक के पद पर थे। शासकीय कर्मचारी खेती के लिए भूमि पट्टे पर नहीं ले सकता। अर्थात् वास्तविकता यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने राजस्व अभिलेख में हेर-फेर कर न्यायालय को गुमराह कर आदेश पारित कराये हैं।

15) उपरोक्तानुसार कलेक्टर ग्वालियर द्वारा प्रकरण में कोई जांच नहीं की गई । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के प्रकरण क्रमांक 8/1991-92/अ-46 आदेश दिनांक 02.04.1992 जो कि

निरस्त आदेश होकर शून्य है, ऐसे आदेश के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

16) अनावेदकगण ने माननीय न्यायालय में अपने मौखिक तर्क में तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि संहिता की धारा 44(1) के तहत मूल आदेश की अपील होती है कलेक्टर का आदेश मूल आदेश नहीं है प्रश्नाधीन आदेश के द्वारा पक्षकारों के हितो/दायित्वों/अधिकारों का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिये कलेक्टर का आदेश अपील योग्य आदेश नहीं है। पूर्णत: विधि विरूद्ध निष्कर्ष है।

17) कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संहिता की धारा 190-110 के तहत अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के हित में हुये आदेश की जांच कर पुन: आदेश पारित किया है इसलिये कलेक्टर का आदेश संहिता की धारा 190-110 के तहत पारित आदेश है जो कि अपील योग्य आदेश था।

18) अनावेदकगण का यह तर्क भी विधि विरूद्ध है कि आदेश अपील योग्य नहीं होने से अधीनस्थ अपील न्यायलय ने सही आदेश पारित किया है। जब न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित हो तो ऐसा आदेश शून्य आदेश है जिसे किसी भी समय चेलेन्ज किया जा सकता है। तहसीलदार का आदेश संहिता की धारा 190-110 के प्रावधानों के विपरी था इसलिये तहसीलदार का आदेश अधिकारिता रहित आदेश था।

19) अनावेदकगण का यह तर्क भी विचार योग्य नहीं है कि आवेदक को अपील या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन के आदेशानुसार पक्षकार है तथा वह मध्यप्रदेश शासन की ओर से कार्यवाही न किये जाने के कारण शासन के हित में कार्यवाही कर रहा है। आवेदक को भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 ए के तहत शासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु देश के प्रत्येक नागरिक को कार्यवाही करने का अधिकार है। आवेदक ने शासन के हित में कार्यवाही की है।

20) अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील अग्राह्य की है जबकि निगरानी मैमो में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्य योग्य थी।

21) माननीय न्यायालय को धारा 50 भू-राजस्व संहिता के तहत विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये हैं माननीय न्यायालय विचारण न्यायालय की कार्यवाही से लेकर अधीनस्थ न्यायालय के कार्यवाही तक की सभी अनियमितताओं व अवैधताओं को परीक्षण कर सकते हैं।

अत: आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय व कलेक्टर ग्वालियर का आदेश निरस्त कर तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2014 को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

1) विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 77 के भूमिस्वामी हीरालाल थे, हीरालाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों पुरूषोत्तमदास, गिरधारीलाल तथा गोपालदास का नामांतरण किया गया था हीरालाल के वारिसानों एवं अनावेदक के मध्य राजस्व न्यायालय में अधिकार के बिन्दू पर प्रकरणों में विवाद के पश्चात् अंतत: दिनांक 02.04.1992 को प्रत्यर्थी का नामांतरण तहसील न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया।
2) अंत में तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध न्यायालय में गये वहां न्यायालय में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो जाने के बाद आगे कोई कार्यवाही नही की गई अर्थात् तहसीलदार का आदेश दिनांक 02.04.1992 ही अंतिम रहा तथा विष्णुदत्त इत्यादि को न्यायालय का राजीनामा आर्डर दिनांक 14.12.2012 व ते0 व आर्डर दिनांक 27.01.2012 के अंतर्गत तहसीलदार के आर्डर को मानते हुए 1992 से ही पुरूषोत्ततमदास, गिरधारीलाल तथा गोपालदास ने तथा उनके उत्तराधिकारियों ने भू-स्वामी माना।
3) आवेदक ने अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थानीय जन प्रतिनिधि का सहयोग लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका क्रमांक 516/2012 प्रस्तुत की। उक्त याचिका का निराकरण करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 20.01.2014 को कलेक्टर जिला ग्वालियर को निर्देशित किया कि कलेक्टर आवेदक नरेन्द्र पण्डित के आवेदन/शिकायत की जांच करते हुए शिकायत का निराकरण करे।
4) माननीय उच्च न्यायलय के निर्देश पर कलेक्टर जिला ग्वालियर ने आवेदक के शिकायती आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु तहसीलदार ग्वालियर को अधिकृत किया। तहसीलदार ग्वालियर ने विविध प्रकरण क्रमांक 138/2013-14/बी-121 में कार्यवाही करते हुए वर्ष 1935 से लेकर वर्ष 2013-14 तक के राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों, कवायद, माफीदारान एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुशरण करते हुए

प्रतिवेदित किया कि संबंधित भूमि किसी मंदिर की भूमि नहीं रही है तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया कि भूमि शासकीय नहीं है तथा अनावेदक विष्णुदत्त आदि को भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त है। इस कारण आवेदक शिकायतकर्ता की शिकायत में वर्णित तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। कलेक्टर जिला ग्वालियर ने दोनों के तथ्यो को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 01.10.2014 द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण करते हुए प्रकरण समाप्त किया तथा उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि यदि नरेन्द्र पण्डित की शिकायत गलत पाई जाये तो उस पर होने वाला खर्च विष्णुदत्त नरेन्द्र पण्डित से वसूल करे। अत: अभी तक विष्णुदत्त शर्मा का राजस्व न्यायालय के प्रकरणों को निपटाने में लगभग 1 लाख रूपये से ज्यादा खर्च हो चुका है अत: उक्त रकम नरेन्द्र पण्डित से दिलवाई जाये।

5) कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसर बी. 121 शीर्ष में प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच कराने के बाद शिकायत का निराकरण किया था। संहिता के किसी प्रावधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध नहीं था ना ही संहिता के किसी प्रावधान के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए शिकायत का निराकरण किया था।

6) अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील क्रमांक 67/2014-15 को अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की गई जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई।

7) अपर आयुक्त ने अपील निरस्त करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शिकायती आवेदन का निराकरण किया है इस कारण कलेक्टर का आदेश संहिता के किसी प्रावधान के अंतर्गत पारित आदेश नहीं कहा जासकता है। नरेन्द्र पण्डित झूठी शिकायतें करने का आदि है तथा वह ब्लेकमेल कर पैसा मांगता है। नरेन्द्र पण्डित द्वारा न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग ग्वालियर जो प्रकरण उससे हर्जाना वसूल करने का चल रहा है उसमें भी उसने गलत कागज लगाये थे, जिसके कारण उस पर 500/- जुर्माना किया।

8) पुनरीक्षण आवेदन में आवेदक ने कलेक्टर के आदेश के संबंध में मात्र यह आधार लिया है कि कलेक्टर का आदेश संहिता की धारा 158 में मात्र यह विहित किया गया है कि विधि के प्रावधानों एवं उनमें परिवर्तनों से किसी व्यक्ति के अधिकार किस प्रकार रहेंगे। इस धारा के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा कोई आदेश पारित किये जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अत: आवेदक का तर्क व्यर्थ एवं भ्रमित है।

9) पुनरीक्षण आवेदन में आदेश कोई राहत प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है यदि अपीलार्थी कलेक्टर की जांच अथवा शिकायती आवेदन के निराकरण आदेश से प्रसन्न नहीं है। तब वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ही याचिका प्रस्तुत कर सकता था। अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य ला सकता था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया।

10) माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2014 में यह भी आदेश दिये कि यदि नरेन्द्र पण्डित की याचिका गलत पाई जावे तो विष्णुदत्त इत्यादि नरेन्द्र पण्डित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर उससे उसमें होने वाला खर्च वसूल करें। अत: शिकायत गलत होने से खर्च वसूली का प्रकरण नरेन्द्र पण्डित के विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन है।

अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1935 में माफी अतिये सरकार दर्ज होकर हनुमान मंदिर की भूमि थी । माननीय उच्च न्यायालय में दायर पी.आई.एल. पर निर्णय दिनांक 20-1-14 को कलेक्टर को जॉच के निर्देश दिये । प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर कलेक्टर ने जो जॉच की है, अभिलेख से स्पष्ट है कि वह केवल खानापूर्ति है । कलेक्टर ने अभिलेख देखने का कष्ट भी नहीं किया है । प्रथमत: संहिता की धारा 190 के तहत अनावेदक ने तहसील न्यायालय के वर्ष 1992 के आदेश से भूमि अपने नाम कराई । कलेक्टर यह मानकर चल रहे हैं कि तहसील न्यायालय के वर्ष 1992 के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, जबकि अभिलेख के अनुसार वर्ष 1992 का आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 81/1991-92 में पारित आदेश 17-2-1994 द्वारा प्रत्यावर्तित किया था तथा तहसील न्यायालय ने 2012 में फिर आदेश पारित किया । तहसील न्यायालय ने संहिता की धारा 190 में मूल भूमिस्वामी (जिसका अधिकार अभी देखा जाना है) के कथित वारिस (जो बरसों बाद सामने आये) जिनकी वारिस होने की कोई जॉच भी नहीं हुई, के साथ राजीनामें पर संहिता की धारा 190 में अनावेदक के नाम लिख दी गई । यह भी नहीं देखा

कि वारिस सही थे क्या ? क्या राजीनामें पर संहिता की धारा 190 लागू होती है क्या ? प्रश्नाधीन भूमि शहरी भूमि होकर खेती की भूमि नहीं थी, अत: संहिता की धारा 190 के तहत कार्यवाही कैसे हुई ? अनावेदक ने वर्ष 1992 तक इंतजार क्यों किया ? इन सब बिन्दुओं की कलेक्टर ने पूरी तरह से अनदेखी की है तथा कोई जॉच नहीं की है । अपर आयुक्त ने मात्र यह कहकर कि शिकायत की जॉच है इसलिये अपील प्रचलन योग्य नहीं बता दिया है ।

6/ इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर सभी को सुने तथा पूरा अभिलेख का अवलोकन करें । पूरे तथ्यों की जॉच करें तथा आवश्यक होने पर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 27-1-2012 को स्वमेव निगरानी में लिया जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 09-02-2015 एवं कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-10-2014 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु कलेक्टर जिला ग्वालियर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे सभी पक्षों को सुनकर तथा पूरा अभिलेख का अवलोकन कर एवं पूरे तथ्यों की जॉच करने व आवश्यक होने पर तहसील न्यायालय के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर